E-TENDER DOCUMENT

FOR

TENDER FOR JOB BASIS WORK OF MILK RECEPATION (DOCK) AT MAIN PLANT AND DIFFERENT CHILLING CENTERS & PROCESSING, MANUFACTURING, PACKING OF MILK AND MILK PRODUCTS AT MAIN PLANT

TENDER ID No.:

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
इण्डस्ट्रीयिल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन
Tele No. 01552-260735, 260522

क्रमांक / गंगमूलःसयंत्रं / एफ() :2026 / दिनांकः–30.01.2026

ई–निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के विभिन्न अवशीतन केन्द्रो पर दूध संकलन व मुख्य संयंत्र पर दूध संकलन, प्रोसेसिंग, मक्खन, घी, मावा, पेडा, बर्फी, खीर, काजु पिन्नी, बेसन लड्डु, बेसन बर्फी, पनीर एवं दूध पाउडर का निर्माण, पैकिंग, लीकेज छांटना एवं भण्डार में स्टेक करना तथा प्रयोगशाला से सम्बन्धित कार्यो इत्यादि के लिये एक वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म निविदि प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते है। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com पर देखी जा सकती है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि–

1. संपादक दैनिक .... को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगों सहित प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को–आपरेटिव डेयरी फेडेरेशन लि0, जयपुर।
3. प्रभारी (संयंत्र / अभि0 / लेखा)
4. अतिरिक्त निजी सचिव।
5. प्रभारी एमआईएस – कृपया संघ की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
6. नोटिस बोर्ड।

प्रबन्ध संचालक

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
इण्डस्ट्रीयिल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

क्रमांक / गंगमूलःसयंत्रं / एफ() :2026 / दिनांकः—30.01.2026

ई—निविदा—सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के विभिन्न अवशीतन केन्द्रो पर दूध संकलन व मुख्य संयंत्र पर दूध संकलन, प्रोसेसिंग, मक्खन, घी, मावा, पेडा, बर्फी, खीर, काजु पिन्नी, बेसन लड्डु, बेसन बर्फी, पनीर एवं दूध पाउडर का निर्माण, पैकिंग, लीकेज छांटना एवं भण्डार में स्टेक करना तथा प्रयोगशाला से सम्बन्धित कार्यो इत्यादि के लिए ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म निविदि प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड कर दिनांक 19.02.2026 सांय 5.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते है। निविदा प्रपत्र का प्रथम भाग दिनांक 20.02.2026 को दोपहर 03.00 पीएम संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्देशानुसार अमानत राशि (रू. 600000 / — श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में), निविदा मूल्य (रू. 1,180 / — जीएसटी सहित श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में) तथा निविदा प्रोसेसिंग फीस (रू. 2,000 / — **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में) संघ कार्यालय में जमा करवाना होगी अन्यथा जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र दो भागो में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगा, उन्ही निविदादाताओ द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोलने की दिनांक घोषित की जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोद्य, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि—

1. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को—आपरेटिव डेयरी फेडेरेशन लि0, जयपुर।
2. प्रभारी (संयंत्र / अभि0 / लेखा)
3. अतिरिक्त निजी सचिव।
4. प्रभारी एमआईएस — कृपया संघ की वेबसाइट व http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवायें।

प्रबन्ध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847
E-mail : rcdfgng_jp1@bsnl.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1.The bidders who are interested in bidding can download tender documents from http:eproc.rajasthan.gov.in

2.Bidders who wish to participate in this tender will have to register on http:eproc.rajasthan.gov.in, To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate. Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, CScheme, Jaipur

3.Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.

4.Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.

5.The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.

6.If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232
"Toll free, 24X7 E-mail- eproc@rajasthan.gov.in

7.Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box,

8.Please read carefully the steps of submitting Tender online.

9.Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads"

Important Date and Time

S.No.	Particulars	Date/Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	30.01.2026 at 06:00 PM
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	30.01.2026 at 06:00 PM
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	19.02.2026 at 05:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
I	EMD (Rs. 600,000/-) by DD / Banker cheque / pay order in the name of SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh	20.02.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
II	Tender form fee Rs. 1,180/- Include GST by DD / Banker cheque / pay order in the name of SGNR ZDUSSLtd., Hanumangarh	20.02.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
III	E-tender processing fee Rs. 2,000/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur	20.02.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
IV	Affidavit of Annexure II on stamp paper Rs 100(Original copy)	20.02.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
5	Date & time of opening of technical-bid	20.02.2026 at 03:00 PM
6	Date and time of opening of financial bid	To be informed later
7	Tender Valuation (Approx.)	3.00 Crore

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847
E-mail : rcdfgng_jp1@bsnl.in

INDEX

S.No.	Particulars	PAGE NO.
1.	NIT	02-03
2.	Instructions for submission of e-tender form & documents	04
3.	Important date & time	04
4.	Index	05
5.	Technical Bid Part 1 Tender Form	06-07
6.	Check list of documents to be submitted	8
7.	General terms & conditions	09
8.	General terms & conditions of contract	10-12
9.	Special Conditions of Job Work	13-14
10.	ANNUXRE I & II	15-16

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SriGanganagar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Industrial Area,Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

Part 1
Technical Bid

Tender Form

SUBJECT: - ONE YEAR TENDER FOR JOB BASIS WORK OF MILK RECEPATION (DOCK) AT MAIN PLANT AND DIFFERENT CHILLING CENTERS & PROCESSING, MANUFACTURING, PACKING OF MILK AND MILK PRODUCTS AT MAIN PLANT.

TENDER PROCESSING FEES:- Rs. 2000/-(Two Thousand Only) by DD /B.C./ pay order in the name of MD, RISL, JAIPUR

TENDER FORM FEES:- Rs. 1180/- Incluse GST(One Thousand One Hundrad Eighty Only)

EMD:- Rs. 600000/-(Six Lac Only) by DD/Pay Order in the name of MD, SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh

1. Name & Full Address of the Firm

   :______________________________

   Submitting the tender (In Block Letters)

   :______________________________

   ____

   Landline Phone No. ______________

   Mobile No.______________

   Fax no. ______________________Email Id:______________

   Passport size photograph

2. Name & Address of Authorized Contact Person:______________

   Mobile No. of Authorized Contact Person :______________

   E-Mail of Authorized Contact Person :______________

3. Addressed to : The Managing Director,
   Sriganganagar ZDUSS Ltd.,
   Industrial Area,
   Hanumangarh Junction

4. PAN No. (photocopy enclose) :______________
5. GST No. (photocopy enclose) :______________
6. Aadhaar card no. (photocopy enclose) :______________

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

7. PF No. (photocopy enclose) :____________________
8. ESI No. (photocopy enclose) :____________________
9. Labour Licence(photocopy enclose) :____________________
10. Experience Certificate: :____________________
    (Two Years Minimum)
11. FSSAI Registration/License No. :____________________
12. RTGS/NEFT Details:
    a.) Beneficiary Bank Name & Address :____________________
    b.) Beneficiary Bank IFSC Code :____________________
        Party Name & Address :____________________
    c.) Party Bank A/C No. :____________________

13. Name and Address of owner/Partner/Directors :____________________
    (Designation and status in the firm) along :____________________
    With Email-Id, Address proof, ID proof)
14. A self attested photocopy of power of attorney issued by Owner/All partners/Directors in favour of nominated person to sign and execute the tender/contract.
15. I/We agree to abide by all the terms & conditions mentioned in the Tender Notice issued by the Managing Director, SZDUSS Ltd. Hanumangarh and the other conditions annexed with the tender form, all the pages of Which have been signed by me/us in token of my/our Acceptance of the terms & conditions mentioned Therein.
16. Details of fee deposited offline in physical form in the office of Managing Director

	Amount	DD No.	Date
a. Tender form fee	Rs. 1180/-	______	______
b. EMD	Rs. 600000/-	______	______
c. Tender Processing Fee	Rs 2000/-	______	______

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

POINTS TO BE CONSIDERED FOR TECHNICAL QUALIFICATION:

1) Draft of EMD & Tender fee MUST be submitted in time without which tender form will not be accepted.
2) Tenderers having any case pending against Sriganganagar Milk Union or its officers/employees (pertaining to working of Dairy) will not be accepted.
3) Tenderers having any case against them by Sriganganagar Milk Union shall be rejected
4) Tenderers who have been blacklisted/termination of agreement in past by GANGMUL or any other RCDF milk union shall not be considered for this tender
5) Tenderers having any financial dealing with any of the employees of milk union as on date of submission of tender shall not be considered
6) Tenders of any of the officer/employee/ board member or their blood relatives (as per Hindu family act) will not be accepted.
7) Tenders of any insolvent/adolescent/mentally retarded firm/person shall will not be accepted. Tenders of any person/firm already working with union through agreement will not be accepted.
8) Tenderes who have security guard/Man power supply contract in Gangmul are not eligible in this tender.

A check list of documents required to be submitted

(Each Tenderer is required to attached copies of following documents failing which the tender will become liable for no further consideration/evaluation)

Sr. No	Particulars	Cover
1.	Duly filled tender form with signature on each page/copy	Cover-A
2.	Copy of PAN Card, PF No., ESI No., FSSAI Regstriation/ Licence No., Labour Licence no. & AADHAAR Card No.	Cover-A
3.	Copy of GST No.	Cover-A
4.	Documents of authorized contact person / firm (as per above point Number 1, 2 & 3)	Cover-A
5.	DD/payoder/banker cheque of tender document fee / EMD	Cover –A
6.	Experience certificates 02 years	Cover –A
7.	RTGS/NEFT Details	Cover –A
8.	All other documents as required as per tender condition	Cover –A
9.	BOQ	Cover -B

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन (राज0)
फोन नं0 01552-(F) 260735, (O) 260522

निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्तें

1. ई–निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड के पश्चात् निविदादाता उक्त प्रपत्र में वर्णित समस्त ई–निविदा की निर्देशों, शर्तों, प्रतिबन्धों एवं अनुबन्ध प्रफोर्मा का पूर्ण अध्ययन कर लें एवं सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर करते हुए अपलोड करें।
2. ई–निविदा प्रपत्र दो भागों में विभाजित है। ई–निविदा का प्रथम भाग तकनीकी (भाग–अ) तथा ई–निविदा का दूसरा भाग वित्तीय (भाग–ब) है। दोनों भागों को पूर्ण रूप से भरकर, वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करेगा।
3. निविदादाता द्वारा ई–निविदा के भाग–''अ'' में अमानत राशि रूपये 600,000 (अखरे छः लाख रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम से संलग्न करें। अमानत राशि के अभाव में ई–निविदा निरस्त मानी जावेगी। ई–निविदा प्रपत्र में निविदादाता को अपना पूरा नाम, पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखना होगा।
4. निविदादाता को ई–निविदा में अपनी दरें निर्धारित BOQ में अपलोड करनी होगी।
5. निविदा के समय जमा करवाई गई अमानत राशि 600000/– रूपये को धरोहर राशि में शामिल कर लिया जावेगा एवं निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंधकर्ता को श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से रूपये 6,00,000/– (अखरे छः लाख रूपये मात्र) की बैक गारन्टी/एफ.डी. 24 माह की जमा करानी होगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत राशि पर किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदादाता को किसी भी सहकारी दुग्ध संघ में मिल्क पाउडर, घी एवं मिठाई पेंकिग जोबवर्क से सम्बन्धित कार्य का पिछले वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25) में से किन्हीं 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। साक्ष्य स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नही होगी।
7. किसी भी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र के बिना दी गयी निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही, निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तों के अनुरूप ही देनी होगी। यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्ते जोड़ता है तो वह मान्य नहीं होगी।
8. निविदादाता के पास फर्म के नाम का पी0 एफ0 कोड पंजीयन, ई0 एस0 आई0 कोड पंजीयन, जीएसटी, पैन कार्ड नम्बर, फूड सेफ्टी, श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है, इनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इनकी छायाप्रतियाँ निविदा के पार्ट ''अ'' में संलग्न करनी होगी। इनके अभाव में निविदा का पार्ट ''ब'' नहीं खोला जावेगा।
9. निविदादाता द्वारा 100 रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के पार्ट ''अ'' में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा का पार्ट ''ब'' नहीं खोला जावेगा। यदि अनुबन्धकर्ता के बारे में यह पाया जाता है कि किसी भी संघ अथवा राजकीय कार्यालय में पूर्व में अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नही कर पाया हो, सिक्योरिटी राशि जब्त की गयी हो और उसका अनुबन्ध निरस्त किया गया हो, तो ऐसे निविदादाता की निविदा मान्य नही होगी।
10. निविदादाता फर्म को पिछले वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25) में से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो का औसत टर्नओवर 1.00 करोड या उससे अधिक का प्रमाण पत्र जो चार्टेड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित हो (यूडीआईएन सहित) संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
11. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को संघ के साथ निर्धारित शुल्क 500/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा तथा नोटेरी से सत्यापित करा कर देना होगा।
12. वर्तमान संयंत्र कार्य किस प्रकार से चल रहा है यह निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी सयंत्र की अनुमति से संयंत्र में आकर देख सकता है एवं टैण्डर कार्य से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
13. आवेदक को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।
14. उक्त समस्त शर्तें, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा रहेगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार पर लागू रहेंगी।
15. एक से अधिक निविदादाताओं की दरें बराबर पाई जाती है तो पार्टी का अनुभव एवं टर्नओवर के आधार पर दर स्वीकृत की जावेंगी।
16. निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भी अगर श्रम कानूनों के अन्तर्गत संघ को किसी प्रकार की शास्ती राशि ठेकेदार के नामित करानी पडती है तो संघ उसको ठेकेदार से वसूल करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार की एक अण्डरटैकिंग 100/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित में नोटेरी से सत्यापित करा कर देनी होगी।
17. प्रबन्ध संचालक के पास बिना कारण बताये किसी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

मैंने उपरोक्त शर्ते पढ व समझ ली है । मैं उपरोक्त शर्तो का पालन करने को तैयार हूँ।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन (राज0)
फोन नं0 01552-(F) 260735, (O) 260522

अनुबन्ध हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्तें

1. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिये होगी। कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध अवधि को आगामी 06 माह तक बढाया जा सकेगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगी।

2. प्रबन्ध संचालक उक्त अनुबन्ध को संघ हित में बिना कारण बताये 15 दिवस के नोटिस पर समाप्त कर सकता है एवं प्रबन्ध संचालक को संघ हित में वर्तमान अनुबन्ध की किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तों में छूट देने एवं ठेकेदार की सहमति से शर्तों में परिवर्तन करने अथवा नई शर्त लागू करने का अधिकार होगा।

3. समस्त ठेका सम्बन्धित जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्ट लेबर (regulation & abolition act 1970) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पूर्णतया अस्थाई व आवश्यक कार्य निष्पादित करने हेतु है जिनको किसी भी समय कम ज्यादा एवं समाप्त घोषित किया जा सकता हैं ।

4. ठेकेदार को श्रमिक कार्य पर लगाने से पूर्व संघ प्रबन्धन अथवा उनके द्वारा किसी भी मनोनीत अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करना होगा व संघ प्रबन्धन द्वारा इन्हें लगाने की स्वीकृति देने पर ही कार्य पर लगाना होगा। ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि:–
   (अ) कोई भी श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु का ना हो। बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम, 1986 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना का उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा।
   (ब) कोई भी श्रमिक किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं हो।
   (स) अगर ठेके की अवधि के बीच में संघ प्रबन्धन किसी श्रमिक को किन्ही कारणों से हटाने का निर्देश ठेकेदार को देता हे तो उक्त श्रमिक को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।
   (द) बिना संघ सहमति के पूर्व में कार्यरत किसी श्रमिक को हटाया नही जायेगा एवं पूर्व में किये जा रहे दैनिक वेतन से कम वेतन भुगतान नही किया जायेगा।

5. निविदादाता का कान्ट्रेक्ट लेबर (regulation & abolition act 1970) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है। यदि किसी निविदादाता का कान्ट्रेक्ट लेबर (regulation & abolition act 1970) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लाईसेंस नवीनीकरण नहीं है तो उसे प्रथम बिल भुगतान से पूर्व उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस का प्रमाण–पत्र संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही भुगतान देय होगा।

6. ठेकेदार को कितने मजदूर उक्त कार्य पर लगाने है उनकी संख्या संघ प्रबन्धन से वार्ता कर समय–समय पर कार्य के अनुसार लगाने होगें।

7. ठेकेदार को समस्त श्रमिक व फैक्ट्री के नियमों का पालन करना होगा अगर कभी यह पाया गया कि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो संघ द्वारा समूचित शास्ती ठेकेदार पर लगाई जावेगी व ठेका निरस्त भी किया जा सकता है।

8. ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल का भुगतान स्वयं के वित्तीय संसाधन से करना होगा। उस माह के बिल के साथ पी0एफ0, ई0एस0आई0 व सर्विस टैक्स के जमा होने के चालान की सत्य प्रतिलिपि देने पर बिल का भुगतान किया जावेगा। पी0एफ0 चालान के साथ 50/– के रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त पैसा संघ में मुख्य संयंत्र व विभिन्न अवशीतन केन्द्रो पर दूध सकंलन, प्रोसेसिंग, मख्खन, घी, मावा, पेडा, बर्फी, पनीर एवं दूध पाउडर का निर्माण, पैकिंग, लीकेज छांटना एवं भण्डार में स्टेक करना इत्यादि कार्यो के लगे श्रमिकों के पी0एफ0 हेतु जमा करवाया गया है। ठेकेदार को अपने श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर न्युनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक करना होगा। संघ से बिलों का भुगतान होना या न होना इस हेतु कोई कारण नहीं माना जावेगा। संघ प्रबन्धन को यह अधिकार हे कि इस सम्बन्ध में वे ठेकेदार के रिकार्ड का निरीक्षण समय –समय पर कर सकते है व उल्लंघन पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकता है तथा निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन 500/– रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

9. ठेकेदार को समय–समय पर प्रभारी संयंत्र/उत्पादन/गुणनियंत्रण/दुग्ध अवशीतन केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। संयंत्र एवं अवशीतन केन्द्रो की हाइजेनिक व्यवस्था मेंनटेन्ट रखनी होगी व उक्त कार्य के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाना होगा।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

10. ठेकेदार द्वारा संघ के निर्देशानुसार समय पर डिमांड पूर्ण करने हेतु समुचित मात्रा में श्रमिक उपलब्ध कराने होगें श्रमिकों के अभाव में संघ प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य श्रमिक/श्रमिकों को कार्य पर लगाये व दिये जाने वाले भुगतान की वसूली ठेकेदार से करे व उस पर समुचित शास्ती आरोपित करे अगर ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिन तक समुचित मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये गये तो ठेका समाप्त, सिक्यूरिटी जब्त कर ठेकेदार की लागत व जोखिम पर किसी अन्य ठेकेदार को ठेका दिया जा सकता है।

11. ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत सदस्य बनाकर सम्बन्धित कार्यालय में रिकार्ड प्रस्तुत करना प्रतिमाह उनका अंशदान काट कर जमा करना निर्धारित समय पर ईएसआई एवं पीएफ के रिटर्न दाखिल करना, समय समय पर विभागीय निरीक्षक द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण करवाना तथा ठेकेदार को अपने स्तर पर उक्त अधिनियमों से सम्बन्धित लेखा जोखा एवं रिकार्ड का संधारण करना पडेगा। प्रतिमाह निर्धारित समय पर भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारी एवं नियोजक दोनों अंशदान जमा कराने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। संघ प्रबन्धन को समय–समय पर ठेकेदार के ईएसआई एवं पीएफ के रिकार्ड निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा ईएसआई एव पीएफ अधिनियमों में संशोधन होने एवं अंशदान में कमी एवं बढोत्तरी की अवस्था में समस्त जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। अगर पीएफ एवं ईएसआई विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर संघ पर कोई शास्ती लगाई जाती है तो उसका भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भी अगर उक्त अधिनियमों एवं श्रम कानूनों के अन्तर्गत संघ को किसी प्रकार की शास्ती राशि ठेकेदार के नामित करानी पडती है तो संघ उसको ठेकेदार से वसूल करने का अधिकारी होगा।

12. यह ठेका स्वीकृत निविदादाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

13. निविदा के समय जमा करवाई गई अमानत राशि 600000/– रूपये को धरोहर राशि में शामिल कर लिया जावेगा एवं निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंधकर्ता को श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से रूपये 6,00,000/– (अखरे छः लाख रूपये मात्र) की बैक गारन्टी/एफ.डी. 24 माह की जमा करानी होगी। जो ठेके की अवधि पूर्ण होने पर संघ के समस्त विभागाध्यक्षो से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने एवं पी एफ जमा सम्बन्धित पासबुक व ईएसआई रिटर्न प्रस्तुत करने के उपरान्त ठेकेदार को लोटायी जावेगीं इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. ठेकेदार श्रमिकों को संघ द्वारा निर्धारित साफ व धुली हुई वर्दी में आना होगा वर्दी का समस्त भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।

15. ठेकेदार व उसके श्रमिकों की लापरवाही से संघ की किसी भी सम्पत्ति का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिये संघ प्रबन्धन को नुकसान की राशि ठेकेदार के बिल, सिक्युरिटी या अन्य किसी भुगतान से काटने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों द्वारा किसी वस्तु की चोरी या दूध/दुग्ध पदार्थे खाते/पीते हुए पकडे जाने पर चोरी करके ले जा रही वस्तु/खाते पीते पकडी गई वस्तु की कीमत *की 20 गुना राशि* तक की शास्ती ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी एवं उक्त अपराध में पकडे गये व्यक्ति को ठेकेदार डेयरी में नियोजित नहीं करेगा।

16. ठेकेदार व उसके श्रमिकों को संघ के नियमों का पालन करना होगा। ठेके अवधि के बीच में अगर ठेकेदार का कार्य असंतोषजनक पाया गया या यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा संघ के किसी नियम/उपनियम, ईएसआई विभाग के किसी नियम/उपनियम तथा पीएफ विभाग के किसी नियम/उपनियम या श्रम विभाग के किसी नियम/उपनियम का उल्लंघन किया गया तो ठेका अवधि के बीच में समाप्त करने का संघ प्रबन्धन को पूर्ण अधिकार होगा।

17. ठेकेदार द्वारा मासिक रूप से बिल प्रस्तुत किये जायेंगें जिनका भुगतान संघ द्वारा RTGS/NEFT/रेखाकिंत चैक द्वारा किया जावेगा ।

18. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन होने की दशा में संघ संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत दिनांक से बढ़ी हुई न्युनतम मजदुरी दर के अनुपात में जोबवर्क दर के 80 प्रतिशत को मजदुरी मानते हुए दर संधित की जा सकेगी।
उदाहरण स्वरूपः– वर्तमान में न्युनतम मजदुरी दर रूपये 285/– प्रतिदिन है एवं निविदा में स्वीकृत दर 10 पैसे प्रति किलोग्राम होने पर न्युनतम मजदुरी 285 से बढ़ाकर 295 रूपये होने की दशा में निम्नानुसार दर संशोधित की जायेगी। (वर्तमान में न्युनतम मजदुरी दर रूपये 285 प्रतिदिन है)
जॉबवर्क दर – $10 \times 80\% = 08$ पैसे
जोबवर्क की संशोधित दर प्रतिलीटर – $(8 \times 295/285)+2 = 8.28+2 = 10.28$ पैसे प्रति किलोग्राम

19. ठेकेदार द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रमिको को करना आवश्यक होगा।

20. ठेकेदार को अगले दिन के कार्य के लिये प्रथम दिवस सुनिश्चित करना होगा कि किस संख्या में उसे श्रमिक किस समय व किस कार्य स्थल पर बुलवाने है।

21. ठेकेदार को इन शर्तो के साथ संलग्न कार्य सम्बन्धी शर्ते व नियमों के अनुसार कार्य करना होगा।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

22. ठेकेदार को अपने श्रमिकों पर स्वयं नियंत्रण रखना होगा व अपने श्रमिकों से स्वयं उन्हें मार्गदर्शन देकर संघ द्वारा निर्धारित कार्य को कराना होगा। ठेकेदार के द्वारा नियोजित श्रमिकों पर डेयरी प्रबन्ध का कोई सीधा नियंत्रण व मार्गदर्शन नहीं रहेगा। अनुबन्धित कार्य को ठेकेदार द्वारा स्वयं के दिशा निर्देशन में व नियंत्रण में अपने श्रमिकों से सुचारू रूप से निर्धारित कार्यप्रणाली, मापदण्डाअनुसार व निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण कराने का दायित्व होगा।

23. ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को संघ परिसीमा में प्रवेश हेतु उनकी पहचान के लिये संघ प्रबन्धन की अनुमति से बेज/पहचान पत्र प्रदान करने होगे।

24. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नही होगी।

25. ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक को संघ का कार्मिक नहीं माना जावेगा। ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक के द्वारा औद्योगिक अधिनियम के अतंर्गत अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अंतर्गत संघ के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा स्थायी नियोजन के लिए किया जाता है तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ द्वारा ठेकेदार के किसी भी कार्मिक/श्रमिक को स्वयं के यहां किसी भी प्रकार से स्थायी नियोजन नहीं दिया जायेगा और स्वयं की सेवा में भी नियोजित नहीं किया जायेगा। ठेके के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक किसी भी रूप में स्थाई नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।

26. ठेकेदार को श्रमिकों की उपस्थिति एवं मजदूरी भुगतान रजिस्टर/स्टेटमेन्ट तीन प्रतियों में तैयार करना होगा तथा मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेन्ट को नियोक्ता या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। मजदूरी रजिस्टर के अनुसार ही श्रमिकों की संख्या तथा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कटोती राशि तथा उस पर नियोक्ता का अंशदान सहित सम्बन्धित विभाग को समय पर जमा करवाना आवश्यक होगा। मजदूरी रजिस्टर एवं चालानों की हस्ताक्षरित प्रतियों के अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

27. ठेकेदार मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेन्ट की प्रथम प्रति को उसी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगा, द्वितीय प्रति को भविष्य निधि कार्यालय भेजेगा एवं तृतीय प्रति को स्वयं के रिकार्ड में रखेगा।

28. ठेकेदार श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन अथवा राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर का कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारी, संचालक मंण्डल का सदस्य एवं कुंटुम्ब से नहीं होना चाहिए।

29. ठेकेदार के बिल से वांछित नियमानुसार आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।

30. लेबर द्वारा कार्य स्थल पर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एवं एल्कोहलिक पेय इत्यादि का सेवन वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर शास्ती लगायी जा सकती है। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच आई0एस0ओ0 22000 : एवं हैसैप के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में एक बार करवाने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं सर्टिफिकेट संघ को उपलब्ध करवानें होगें। यदि संघ द्वारा करवाई जाती है तो उक्त व्यय की कटौति बिल से कर दी जावेगी।

31. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को संघ के सभी विभागों से नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा कराना होगा।
32. ठेकेदार The code on Wages 2019, the Industrial Relations 2020, the code on Social Security 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 व इनसे संबंधित संशोधन की पालना किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
33. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि के दौरान ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।
34. आर.टी.पी.पी. एक्ट के अपील के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय अधिकारी प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ जं होगे।

<u>मैंने उपरोक्त शर्ते पढ व समझ ली है । मैं उपरोक्त शर्तो का पालन करने को तैयार हूँ।</u>

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

कार्य संबंधी शर्तें

01. निविदा के अन्तर्गत घोषित समस्त कार्य पूर्णतया अस्थाई श्रम ठेका अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक कार्य है।

02. निविदा के अंतर्गत नियोजित ठेकेदार के श्रमिकों पर ठेकेदार का ही नियंत्रण व निर्देशन होगा तथा श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन का किसी भी प्रकार से ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के नियोजक एवं श्रमिक से संबंध नहीं होगा न ही किसी श्रमिक एवं ठेकेदार के बीच उत्पन्न औधोगिक विवाद हेतु संघ किसी प्रकार से उत्तरदायी होगा।

03. संयंत्र के विभिन्न विभागो में लाइनों को जोडना/टैकों की लाइनों को बदलना, टैकों/लाइनो की क्लीनिंग व संयंत्र तथा भण्डार की नित्य सफाई जो कि मानक स्तर की होना आवश्यक है, को निर्धारित मापदंडों व निर्धारित विधि एवं प्रकिया के अनुरूप करने का कार्य ठेकेदार का होगा।

04. संघ की आवश्यकतानुसार एवं विभिन्न तरह की ऑडिट हेतु अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें एवं सफाई व्यवस्था मानक अनुसार सुनिष्चित करनी होगी।

05. ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य बिन्दुओ के अनुरूप श्रमिक नही लगाने की सूरत में यदि संघ को श्रमिक लगाने पडे तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी व शास्ति आरोपित करने के साथ साथ ठेका समाप्त भी किया जा सकता है ।

06. किसी यात्रिंक व्यवधान के कारण यदि कार्य को मैन्युली कराना पडता है एवं अतिरिक्त श्रमिको की आवश्यकता होती है तो वह ठेकेदार को तुरन्त व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा ।

07. कुछ श्रमिक प्रतिदिन सामान्य पारी में सफाई का कार्य तथा स्टोर से केमिकल एवं पैकिंग सामग्री तथा अन्य सामान लाने हेतु अलग से लगाने होगे ।

08. उत्पादन व पैकिग कार्य में रही किसी भी त्रुटि/विलम्ब के कारण यदि संस्था को किसी कानूनी कार्यवाही के तहत या अन्य किसी तरह की हानि होती है तो हानि की राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।

09. ठेकेदार को निम्नानुसार कार्य निष्पादन करवाने होगें एवं श्रमिक उपलब्ध करने होगें।

S No/Section		Perticulers	Approx./Tentative/ Strength			Unit/Rate	Production & Milk procurement of last year (2024-25)
			Unskilled	Skilled	Technical/ Supervisor		
1. Section (Reception, Process & Lab)	Main Plant Dock & MCC Dock (4)	General Cleaning and Hygiene of main plant dock & mcc Dock Area & All equipments, Calibration weigh scale, Preparation of Can washer/scrubber, Can unloading, Lid opening, weighing of milk received from society, Can & Lid Cleaning and loading, Cream Separator cleaning and other related works(Rate per KG)	03 per Shift per dock	01 per Shift per dock	-	Per Kg Milk procurement at all docks	5,44,69,886 KG
	Process	General Cleaning and Hygiene of Process Area & All equipments. SMP reconstitution, Tanker loading, unloading, tanker cleaning and Plant operation and other related works.	02 per Shift	02 per Shift			
	Main Lab. & Different Dock Lab(including MCC Lab)	General Cleaning and Hygiene of Laboratory Area & All equipments /utensils, coding /Labeling /Sampling /Grading/General Testing and all other related works.	13 per day	10 per day	08 per day		
2.	Ghee	General Cleaning and Hygiene of Ghee section Area & All equipments. Butter & Ghee manufacturing, operation of CBM ghee manufacturing from butter Filtration/clarification/cooling and packaging in all packing variants, Shifting to different FGS Store in Dairy premises and from FGS to Ghee section, reprocessing and all other related works.	03 per shift	02 per shift	01 per Shift	Rate per Kg product	21,47,689 KG
3. Milk based Sweets	Mawa/Peda/Burfi /kheer/other sweets	General Cleaning and Hygiene of Mawa section Area & All equipments. Peda, Burfi,Kheer & Mawa manufacturing, packing in all packing variants and Shifting to FGS/Main gate Store & and all other related works.	02 per shift	02 per shift	01 per day	Rate per Kg product	23,106 KG
4. cereal based Sweets made	Kaju Pinni /Besan Laddu/Besan Burfi/other sweets	General Cleaning and Hygiene of Sweets Manfucatring/Packing Area & All equipments. Kaju Pinni, Besan Laddu, Besan Burfi/other sweets manufacturing, packing in all packing variants and	02 per shift	02 per shift		Rate per Kg product	637 KG

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

with ghee		Shifting to FGS/ Main gate Store & and all other related works.					
5.	Paneer	General Cleaning and Hygiene of Paneer section Area & All equipments. Paneer manufacturing, packing in all packing variants and shifting to cold store/FGS and all other related works.	04 per day	02 per day	-	Rate per Kg product	2,37,765 KG
6. Section(Milk Powder)	Milk Powder Manufacturing 25 Kg	General Cleaning and Hygiene of Powder Plant Area & All equipments. Plant operation, coding/Labeling, Powder filling & packing in 25 kg KP Bag, Stacking and shifting to FGS Store in Dairy premises and from FGS to Powder plant section, reprocessing and all other related works.	03 per shift	01 per shift	01 per day	Rate per Kg product	16,02,425 KG

10. गत वर्ष की दूध संकलन मात्रा एवं उत्पादित किये गये उत्पादो की मात्रा को प्रस्तुत दर से गणना करने पर प्राप्त राशि का कुल योग न्यूनतम दर हेतु आधार माना जायेगा।
11. उपरोक्तानुसार प्रत्येक सेक्शन में श्रमिको का आवंटन संघ निर्देशानुसार किया जावेगा।
12. निर्धारित समय में कार्य संपादित करना होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जायेगा।
13. Skilled & Technical labour को वर्तमान में देय वेतन से कम वेतन भुगतान नही किया जावेगा।
14. किसी भी श्रमिक को बिना संघ की सहमति के कार्य से हटाया नही जायेगा।
15. विभिन्न उत्पादो के पैकिंग मैटेरियल का हिसाब रखना होगा व तथा उत्पाद व पैकिंग मैटेरियल की रिकवरी निर्धारित मापदण्डो अनुसार देनी होगी।
16. दुग्ध व उत्पादो का नुकसान ठेकेदार को वहन करना होगा एवं लापरवाही पाये जाने पर शास्ती भी लगायी जा सकेगी।
17. उत्पादो की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डो अनुसार रखनी होगी। अगर गुणवत्ता में कमी के कारण संघ को किसी तरह की हानि होती है तो ठेकेदार को वहन करनी होगी।
18. किसी तरह की हानि व शास्ती की रिकवरी ठेकेदार की जमा अमानत राशि/धरोहर राशि/बकाया बिलो से की जा सकेगी।
19. श्रमिको की लापरवाही से किसी मशीन को या अन्य संयंत्र की सम्पति को नुकसान होने पर वसूली ठेकेदार से की जावेगी एवं शास्ती लगायी जा सकेगी।
20. किसी भी ब्रेक डाउन के कारण अगर उत्पादन प्रभावित होता है तो ठेकेदार को होने वाले नुकसान के लिये संघ का दायित्व नही होगा।
21. श्रमिको से सम्बन्धित समस्त दायित्व दुर्घटना एवं पीएफ, ईएसआई इत्यादि से सम्बन्धित समस्त दायित्व ठेकेदार के होगें।
22. कम संख्या 09 में सारणी की कम संख्या 01 हेतु संकलित दूध की मात्रा संघ की समितियो से कैनो के माध्यम से मुख्य संयंत्र एवं दूध अवशीतन केन्द्र के डॉक पर प्राप्त होने वाले दूध एवं बीएमसी टैंकरो से प्राप्त दूध की मात्रा होगी । अन्य संघो से प्राप्त टैंकर के दूध की मात्रा शामिल नही की जावेगीं।
23. कम संख्सा 09 में सारणी की क्रम संख्या 02 हेतु घी की वास्तविक मात्रा एफजीएस स्टोर को शिफ्ट किए गए किग्रा घी की मात्रा को माना जावेगा।
24. उत्पादित दूध उत्पादो को संघ द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार तौल/माप कर पैक करवाना होगा। तौल/माप में अन्तर पाये जाने पर होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जावेगी व शास्ती लगाई जा सकेगी।
25. उक्त समस्त शर्तें, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा रहेगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार पर लागू रहेंगी।
26. यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी दुग्ध अवशीतन केन्द्र के डॉक पर दुग्ध संकलन बंद हो जाता है तो संबंधित बंद हुए दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर गत माह में श्रमिकों को भुगतान किए गए वेतन के आधार पर बिल में से प्रतिमाह कटोति की जावेंगी।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

Annuxre–I

–: शपथ – पत्र :–
(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित)

<u>अण्डर टैकिंग/शपथ पत्र</u>

मैं ———————————————— पुत्र श्री ———————————————— उम्र ———— वर्ष, निवासी ———————————— तहसील ———————— जिला ———————————— (राज0) का हूँ, मैं शपथ पूर्वक यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :–

1– यह है कि मैं श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ से प्राप्त ठेकों के निमित्त/सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति है । राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरन्त जमा करा दूंगा।

2– यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते हैं।

3– यह है कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल–अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरे वारिशान की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं ———————————————— पुत्र श्री ———————————————— उम्र करीब ——— वर्ष, निवासी ————————————————(राज0) यह शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश–हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता ————————————————
नाम निविदादाता ————————————————
पता ————————————————
————————————————
————————————————

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

Annuxre-II

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित)

काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) व अनुबन्ध निरस्त नहीं होने हेतु प्रोफार्मा

शपथ–पत्र

मैं निविदादाता .... सुपुत्र श्री .... उम्र .... निवासी .... यह शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी संस्थान/समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की गयी तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्योरिटी राशि जब्त नहीं हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतन्त्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)